रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 135] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 1983/चैत्र 21, 1905

No. 135] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 1983/CHAITRA 21, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल 1983

सा०का०नि० 324 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और संयुक्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नियम 1981 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और संयुक्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और संयुक्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) भर्ती नियम, 1981 के नियम 6 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी :—

"6 शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में.—

(1) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के पद से संबंधित स्तम्भ 13 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"चयन प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।"

(2) संयुक्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के पद से संबंधित स्तम्भ 11 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण: यदि इन नियमों के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के दौरान, जिन्होंने इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, ऐसे उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) पात्र नहीं हैं तो इस पद को ऐसे अधिकारियों द्वारा भरा जाएगा जिन्होंने उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) की श्रेणियों में कुल मिलकर 10 वर्ष की नियमित सेवा की है।"

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग दो, खण्ड 3, उपखंड (i) में दिनांक 6 जून, 1981 को स०का०नि० 545, तारीख 19 मई, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[फा० सं० ए-12018/1/75-सी०एल०टी०]

ए०के० श्रीवास्तव, निदेशक

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 1983

G.S.R. 324(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Chief Labour Commissioner (Central) and Joint Chief Labour Commissioner (Central) Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Chief Labour Commissioner (Central) and Joint Chief Labour Commissioner (Central) Recruitment (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the entry against Rule 6 of the Chief Labour Commissioner (Central) and Joint Chief Labour Commissioner (Central) Recruitment Rules, 1981, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rule 6.—Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons."

3. In the Schedule to the said rules :—

(i) for the entries made under Column 13 relating to the post of Chief Labour Commissioner (Central), the following entry shall be substituted, namely :—

"Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission."

(ii) after the entries made under Column 11 relating to the post of Joint Chief Labour Commissioner (Central), the following note shall be added, namely :—

"Note.—During the period of three years from the commencement of these rules, in case of Deputy Chief Labour Commissioners (Central) with 5 years' regular service in the grade are not eligible, the post may be filled alternatively from Deputy Chief Labour Commissioners (Central) with 10 years' combined regular service in the grade of Deputy Chief Labour Commissioner (Central) and Regional Labour Commissioner (Central)."

Foot-note.—The principal rules were published vide G.S.R. 545 dated the 19th May, 1981 in the Gazette of India Part-II Section 3, Sub-section (i) dated the 6th June, 1981.

[F. No. A-12018/1/75-C.L.T.]

A. K. SRIVASTAVA, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983